न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी–श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 44/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/69

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नावां जिला डीडवाना–कुचामन।		1. किरण देवी पुत्री पुसाराम जाति मेघवाल निवासी रेल्वे स्टेशन, राजपुर तहसील नावां जिला डीडवाना–कुचामन।

दावा अन्तर्गत भु–राजस्व अधिनियम के तहत बने नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थितः–

1. प्रार्थी की ओर से श्री रामरतन रेगर नायब तहसीलदार नावां
2. अप्रार्थी की ओर से वकील श्री हरफूल राव

आदेश दिनांकः 07.05.2024

प्रार्थी तहसीलदार नावां ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) के तहत पेश कर निवेदन किया किः–

1. मौजा ग्राम मीठड़ी के साबिक खसरा नम्बर 1523/704 रकबा 0.65 हैक्टर भूमि अप्रार्थी किरण देवी पुत्री पुसाराम जाति मेघवाल निवासी मीठड़ी को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि उपखण्ड अधिकारी नावां के आदेश क्रमांक/राजस्व/02/96–98 व दिनांक 27.06.2002 के द्वारा आवंटन की जाकर अप्रार्थी किरण देवी पुत्री पुसाराम जाति मेघवाल निवास मीठड़ी को राजस्व रिकार्ड में गैर–खातेदार दर्ज किया गया था। अप्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र डुंगाराम जाति रेगर, गीता पत्नी ओप्रकाश जाति रेगर निवासी मीठड़ी को ना. सं. 600 दिनांक 14.08.2003 के द्वारा गैर खातेदार दर्ज किया गया था। जिसमें किरण देवी पुत्री पुसाराम जाति मेघवाल निवास मीठड़ी आज दिन तक गैर खातेदार चले आ रहे है।
2. अप्रार्थी को उक्त भूमि आदेश दिनांक 27.06.[illegible] से आवंटित हुई थी तथा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम [illegible] के अनुसार अप्रार्थी द्वारा प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भु–भाग को व द्वितीय वर्ष शेष 50 प्रतिशत भु–भाग को जोतना आवश्यक था और अप्रार्थी ने नियम 14(3) की शर्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.10 17:18:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन
7/5/24

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन सत्यमेव जयते

की पालना नहीं की है, जो खसरा गिरदवारी संवत् 2062 से 2077 तक की नकलों से सुस्पष्ट है।

3. अप्रार्थी का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं है तथा मौके पर भूमि बंजर है। जिस पर काश्त करना मुमकिन नहीं है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है।
4. अप्रार्थी का विवरण जो इस प्रार्थना–पत्र में दिया गया है वह सभी जीवीत एवं व्यस्क पता जो अंकित किया गया है उसी पर अप्रार्थी निवास कर रहे है। उक्त सम्बन्ध में पटवारी हल्का का प्रमाण पत्र सलंग्न है।
5. अप्रार्थी ने कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन नियम 1970 के नियम 14(3) की पालना नहीं की है।

अतः खतौनी नकल, नामान्तरकरण, सम्पूर्ण गिरदावरी की प्रमाणित नकले व उपर्युक्तानुसार पटवारी की मौका रिपोर्ट व पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सलंग्ल कर निवेदन है कि अप्रार्थी को किये गये अवंटन दिनांक 27.06.2002 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तरफ से वकील श्री हरफुल राव ने वकालतनामा पेश किया अप्रार्थी की ओर से वकील श्री हरफुल राव ने जवाब पेश कर निवेदन किया है किः–

1. प्रार्थना–पत्र के पद सं0 1 का जवाब यह है कि मौजा ग्राम मीठड़ी केसाबिक खसरा नम्बर 1523/704 रकबा 0.65 हैक्टर भूमि अप्रार्थीया की खातेदारी की चली आ रही है तथा पिछले कई वर्षो से काबिज काश्त करती चली आ रही है। अप्रार्थीया उक्त खसरा नम्बरान की भूमि के राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार अवश्य दर्ज है, लेकिन पिछले कई वर्षों से अप्रार्थीया उपरोक्त कृषि भूमि को कृषि कार्य के रूप में ही उपयोग में लेती आ रही है तथा अप्रार्थीया का उपरोक्त खसरा नम्बरान की गिरदावरी में भी नाम दर्ज हो रखा है। जिससे यह साफ स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीया उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि को खातेदार के रूप में काबिज काश्त चली आ रही है।
2. प्रार्थना–पत्र का पद सं0 2 का जवाब यह है कि प्रार्थी ने यह मिथ्या वर्णित किया गया है कि उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि अप्रार्थीया को दिनांक 27.06.2002 को आंवटित हुई है, जबकि उक्त खसरा नम्बर की गिरदावरी सम्वत् 2062 से नाम गैर खातेदार के रूप में चला आ रहा है तथा इससे पूर्व से ही अप्रार्थीया काबिज काश्त करती आ रही है। सरकार [illegible] की शर्तों की पालना नहीं करने के तथ्य प्रार्थी ने मिथ्या वर्णित [illegible] है, जो खसरा गिरदावरी सम्वत् 2062 से स्पष्ट हो [illegible] है।
3. प्रार्थना–पत्र का पद सं0 3 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ने मिथ्या वर्णित किया है कि उक्त खसरा नम्बर की भूमि को कृषि कार्य के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.10 17:18:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

रूप में उपयोग में लेती आ रही है तथा वर्तमान में भी कृषि कार्य के रूप में उपयोग में ली जा रही है, जबकि पटवारी ने बिना मौके पर गये ही झुठी रिपोर्ट पेश की गई है। जिससे भी प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज होने योग्य है।

4. प्रार्थना–पत्र का पद सं0 4 में वर्णित तथ्य सही है, लेकिन प्रार्थी ने अप्रार्थीया के उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि पर शुरू से लेकर आज तक खातेदार के रूप में कृषि कार्य करती चली आ रही है।

अतः जवाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मय हर्जा–खर्चा के खारिज फरमाया जावें।

बहस के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के आधार पर आराजी नं0 1523 / 704 रकबा 0.6500 हैक्टर अप्रार्थी किरण देवी पुत्री पुसाराम को राज0 कृषि भूमि आंवटन नियम 1970 के तहत कृषि कार्य हेतु भूमि आंवटित की गई थी।

जमाबंदी ग्राम मीठडी सम्वत् 2074–77 अनुसार खसरा नम्बर 1523 / 704 रकबा 0.6500 हैक्टयर किस्म जमीन बा.3 अप्रार्थी किरण देवी पुत्री पुसाराम हिस्सा 1 / 2 सा0 देह के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज है।

पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम मीठडी के खसरा सं0 1523 / 704 रकबा 0.6500 हैक्टयर किस्म बारानी–3 गैर खातेदार किरण देवी पुत्री पुसाराम हिस्सा 1 / 2 आज दिनांक तक काबिज नहीं है। मौके पर यह भूमि बंजर है। गैर खातेदार ने आज तक मौके पर कब्जा नहीं किया है।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सं. 2062–77 एवं मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार आवंटी / अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तोनुसार मौके पर कब्जा काश्त नहीं किया गया है।

अप्रार्थी का आराजी भूमि पर कभी कब्जा काश्त रहा हो ऐसा कोई दस्तावेजी आधार / नकल गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे भी उक्त भूमि पर अप्रार्थी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं होने के तथ्य की पुष्टि होती है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने विशेष कथन के रूप में यह तर्क दिया कि खातेदारी अधिकार प्राप्त हो के पश्चात इन अधिकारों को नियम 14(4) के तहत समाप्त नहीं किया जा सकता एवं साथ ही यह भी तर्क दिया कि नियम 14(4) के तहत आंवटन 10 साल तक ही खारीज किया जा सकता है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने उक्त दोनों कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRT [illegible] DNJ Raj-1 709, RRT 2008(1) RRT 610 प्रस्तुत किये। इसके अतिरिक्त अ[illegible] अ[illegible]क्ता द्वारा अन्य कोई नियम प्रस्तुत नहीं किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.10 17:18:33 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (एल[illegible]) 1970 [illegible] के तहत स्पष्ट प्रावधान है कि आवंटी द्वारा आवं[illegible] करने पर जिला कलक्टर द्वारा आवंटन को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। उक्त नियमों

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

के नियम 14(3) के तहत स्पष्ट प्रावधान है कि आंवटी को भूमि पर काश्त करनी होगी। उक्त नियमों के नियम 14(8)A के तहत भी यदि भूमि को निर्धारित अवधि में काश्त नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार में पुनः पुर्नगठित करने के प्रावधान है।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात नियम 14(4) के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकने का तर्क दिया है परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में अप्रार्थी का स्टेट्स गैर खातेदारी अधिकार का ही है।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दानों न्यायिक दृष्टांत में प्रथम नियमन को चुनोती देने से संबंधित है एवं द्वितीय में काश्त किये जाने बाबत 02 वर्ष अवधि की गणना किस प्रकार की जावेगी इससे संबंधित है। दोनों दृष्टांत इस पर लागु नहीं होते है। क्योंकि आंवटन के 22 वर्ष पश्चात भी आंवटित भूमि पर न तो अप्रार्थी द्वारा काश्त की गई न ही अप्रार्थी का कब्जा है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के उप नियम 14(4) के तहत अप्रार्थी किरण देवी पुत्री पुसाराम हिस्सा 1/2 को किया गया आवंटन निरस्त करने बाबत प्रार्थी तहसीलदार नावां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मौजा मीठडी के खसरा नम्बर 1523/704 रकबा 0.6500 हैक्टयर पर आवंटी/अप्रार्थी की दर्ज गैर खातेदारी/आवंटन को निरस्त किया जाकर उक्त भूमि पुनः राजकीय सिवाय चक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार, नावां को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित की जावे।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 07.05.2024 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

7/5/24
(बाल मुकुन्द असावा, IAS)
जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.10 17:18:33 IST
Reason: SelfAttested